न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 287/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राज0 राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा		1. अब्दुल करीम पुत्र सकूरखॉ जाति मुसलमान कसाई 2. अब्दुल मजीद पुत्र सकूरखॉ जाति मुसलमान कसाई निवासीगण पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2017 जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 59/2014 फतून बनाम राज0 सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. एक व दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए यह कथन किया कि उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा में स्थित है जिसके गत बन्दोबस्त के समय खसरा संख्या 252 एवं क्षेत्रफल रकबा 16.04 बीघा है। उक्त भूमि पर उनका कब्जा गत बन्दोबस्त से पूर्व अर्थात राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है। पूर्व खातेदार सकूर खॉ तथा उनके पश्चात उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है जिसका नामा0 संख्या 194 स्वीकृत हो रखा है। ग्राम मण्डापुरा का पुनः बन्दोबस्त सम्वत 2024 में हुआ तब खसरा संख्या 252 के नये खसरा संख्या 180 बने जो भू प्रबन्ध विभाग की खसरा बन्दोबस्त में अंकित हुए तथा गत भूमि का माप 132 फीट की जरीब से था तथा वर्तमान भूमि का माप 165 फीट के जरीब से हुआ। भू प्रबन्ध विभाग के पुनः बन्दोबस्त के समय उक्त खातेदारी भूमि को गलती से राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 180 बिला कब्जा/सिवायचक दर्ज कर दी गई। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार की हुई गलती को शुद्ध करते हुए राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्त किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए बाद सुनवाई रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि को रेस्पोडेन्टस के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील 06.04.23 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई राजकीय अधिवक्ता ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी रेस्पोडेन्ट के मौके पर कब्जा नहीं होते हुए भी कब्जा करने हेतु प्रक्रिया/आवेदन इत्यादि प्रस्तुत कर की जाने लगी जिस पर कार्य अधिकता, अधिकारियों के समय–समय पर हुए स्थानान्तरण के कारण इस सम्बन्ध में पूर्ण निर्णय के तथ्यों व विधिक स्थिति की जानकारी नहीं होने, तदोपरान्त ईजराय प्रकरण दर्ज कर ऐसे ईजराय प्रकरण में पालना की तहरीर आदेश प्राप्त होने पर हुई है। अपीलाधीन निर्णय राजहित में नहीं होने से यथार्थ रूप में रखना सम्भव नहीं है। ऐसे में अपील पेश करने में हुए अज्ञानतावश विलम्ब को क्षमा करना न्याय हित राजहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पर राज पैरोकार की ओर से उज्र एतराज पेश किया कि ख0सं0 252 का द्वितीय बन्दोबस्त में ख0सं0 180 बना हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है व मौके पर किसी के कब्जे बाबत कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। उसके उपरान्त भी सहाय कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया और 8 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया जो सहायक कलेक्टर न्यायालय को धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं दिये हुए है। धारा 136 में दायर होने वाली कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है जिसमें निर्णय पारित नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि में मौके पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्टस को रहा हो, धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस इत्यादि पेश नहीं किया गया और न ही कब्जे बाबत स्वतंत्र साक्षी या साक्ष्यों की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में करवाई गई, मात्र रेस्पोडेन्टस ने अपनी साक्ष्य पेश की जिससे उक्त प्रार्थना पत्र में तथ्य साबित नहीं होते थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।

अपीलान्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य का अभाव रहा व प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियमित वाद से किया जा सकता था। सर्वप्रथम उक्त बिन्दू यह तय होता कि पुराने ख0सं0 252 का ख0सं0 180 ही बना जो सिवायचक दर्ज हुआ, जिस पर नियमित कब्जा रेस्पोडेन्टस का रहा हो, ऐसा कोई तथ्य प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया था। अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जबकि धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में निर्णय/ आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर को नहीं होता है, सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावे तथा सहायक कलेक्टर बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा में उनकी पुश्तैनी खातेदारी जिसके गत बन्दोबस्त के समय खसरा संख्या 252 एवं क्षेत्रफल रकबा 16.04 बीघा है। पूर्व में बन्दोबस्त कार्यवाही सम्वत 2026–2030 तक दर्ज रहा है और उक्त खसरा संख्या 252 की भूमि उनके पिता शकूर के नाम से दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि पर उनका कब्जा गत बन्दोबस्त से पूर्व अर्थात राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से है। उक्त भूमि उनके पिता शकूर से रेस्पोडेन्टस को प्राप्त हुई थी। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि पूर्व के खातेदार सकूर खॉ तथा उनके पश्चात उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है जिसका नामा0 संख्या 194 स्वीकृत हो रखा है। ग्राम मण्डापुरा का पुनः बन्दोबस्त सम्वत 2024 में हुआ तब खसरा संख्या 252 के नये खसरा संख्या 180 बने जो भू प्रबन्ध विभाग की खसरा बन्दोबस्त में अंकित हुए है तथा गत भूमि का माप 132 फीट की जरीब से था तथा वर्तमान भूमि का माप 165 फीट के जरीब से हुआ। भू प्रबन्ध विभाग के पुनः बन्दोबस्त के समय उक्त खातेदारी भूमि को गलती से राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 180 बिला कब्जा/ सिवायचक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज कर दी गई जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक व उचित हैं अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने एवं उक्त प्रकार की हुई गलती को शुद्ध करते हुए राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए बाद सुनवाई रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि को रेस्पोडेन्टस के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग का क्षेत्राधिकार केवल पूर्व अंकनों को रिपीट करने का होता है, उन्हें अपने स्तर पर इन अंकनों को परिवर्तित करने या नये अंकन, अभिलेख करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत व दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये थे। इस बाबत विभिन्न न्यायालयों में अपने निर्णयों के सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 135 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए जो आदेश पारित किया है वो उचित है क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज से शेष रही एन्ट्रीयों को दर्ज करना तथा पूर्व की कार्यवाही में गलत हो गये इन्द्राजों को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को दे दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है और अपने क्षेत्राधिकार में रहकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि भूमिधारी तहसीलदार की ओर से यह पेश अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर है क्योंकि तहसीलदार कार्यालय को प्रारम्भ से ही उक्त अपीलाधीन आदेश की एवं उसकी पालना करवाने हेतु रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश किये जा रहे प्रार्थना पत्रों/इजराय की पूर्ण रूप से जानकारी रही है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात से ही रेस्पोडेन्टस उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु लगातार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय एवं तहसीलदार पचपदरा को प्रार्थना पेश करता आ रहा है परन्तु कार्यवाही नहीं की गई और राजकीय पैरोकार की ओर से प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर दी गई है जो सारहीन होने से अस्वीकार करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने अपीलान्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा पेश प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा में स्थित है जिसके गत प्रथम बन्दोबस्त के समय खसरा संख्या 252 एवं क्षेत्रफल रकबा 16.04 बीघा थी तत्पश्चात ग्राम मण्डापुरा का पुनः बन्दोबस्त सम्वत 2024 में हुआ तब खसरा संख्या 252 के नये खसरा संख्या 180 बने जो भू प्रबन्ध विभाग की खसरा बन्दोबस्त में अंकित हुए तथा गत भूमि का माप 132 फीट की जरीब से था तथा वर्तमान भूमि का माप 165 फीट के जरीब से हुआ। भू प्रबन्ध विभाग के पुनः बन्दोबस्त के समय उक्त खातेदारी भूमि को गलती से राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 180 बिला कब्जा/सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर उनका कब्जा गत बन्दोबस्त से पूर्व से चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि को रेस्पोडेन्टस के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में राज पैरोकार ना0 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा पेश बिन्दुवार जवाब दावा पेश किया उसमें स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त खसरा संख्या 180 पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होना दर्शाया है साथ ही पूर्व खसरा संख्या 252 का द्वितीय बन्दोबस्त में ख0सं0 180 ही बना हो, के कोई सबूत नहीं है, दर्शाया था, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों/साक्ष्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार भूमिधारी से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये थी, जो प्रकरण के निस्तारण हेतु अपेक्षित एवं आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश किये गये साक्ष्य सबूतों के सम्बन्ध में भी तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट तलब करते, उसका भी अभाव पाया गया है।

अपीलान्ट राजकीय अधिवक्ता ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के बाबत यह भी आपत्ति उठाई है कि धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण को पीठासीन अधिकारी के द्वारा सहायक कलेक्टर के रूप में निर्णित किया है जबकि उक्त धारा में पेश प्रकरण को निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) का होता है, राजकीय पैरोकार का यह तथ्य भी स्वीकार किये जाने योग्य है। धारा 136 का दायरा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में पूर्व में रहे इन्द्राज अथवा लिपिकिय त्रुटि को ही दुरूस्त करने तक रहता है, जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में उक्त भूमि को बतौर खातेदार दर्ज करने व प्रविष्टिया शुद्ध करने का आदेश पारित किया गया है, जिसे किसी भी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न ही विधि अनुरूप पाया गया है। इस प्रकार के प्रकरणों यानि खातेदारी सम्बन्धी विवाद के प्रश्नों का निस्तारण धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है, वह नियमित राजस्व वाद के तहत साक्ष्य/दस्तावेज गवाह इत्यादि कार्यवाही सम्पादित करते हुए ही किया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से, क्षेत्राधिकार का नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर